



RAEBARELI POLICE



प्रेस नोट

दिनांक 12 जनवरी 2026

मंदिर से घण्टे चोरी करने वाले अन्तर्जनपदीय गिरोह के 07 सदस्य मुठभेड़ में गिरफ्तार (अभियुक्तगण के कब्जे से कुल वजन 03 क्विण्टल 13 किलो के घण्टे

बरामद) -

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 6/7 जनवरी 2026 की रात्रि को थाना जगतपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शंकरपुर में स्थित दुर्गा देवी मंदिर से अज्ञात चोरों द्वारा पीतल के घंटे चोरी कर लिए गए थे। जिस संबंध में मंदिर के पुजारी शिवबहादुर बाजपेयी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-04/2026 धारा-303(2) बीएनएस अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा पुलिस टीम गठित कर घटना के अनावरण हेतु प्रयास किये जा रहे थे।

इसी क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक रायबरेली डॉ० यशवीर सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक रायबरेली श्री संजीव कुमार सिन्हा के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी डलमऊ श्री गिरजा शंकर त्रिपाठी के नेतृत्व में दिनांक 11/12.01.2026 की रात्रि को थाना जगतपुर व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा शारदा नहर के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान मुखबिरखास की सूचना पर सामने से आ रही एक कार को रोकने का प्रयास किया गया, परन्तु कार सवार व्यक्तियों द्वारा वाहन नहीं रोका गया जब पुलिस टीम द्वारा उन्हें घेर लिया गया तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त 1. गोविन्द सिंह उर्फ आकाश पुत्र स्व० अर्जुन सिंह उर्फ करण सिंह निवासी बड़पुरा थाना फूफ जनपद भिण्ड मध्य प्रदेश के बाएं पैर में गोली लग गयी तथा अन्य अभियुक्तो 2. मौनू भदौरिया पुत्र इन्दल सिंह निवासी उदितपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद भिण्ड मध्य प्रदेश 3. आबिद पुत्र स्व० जाफर निवासी उर्दू मोहल्ला थाना कोतवाली जनपद इटावा 4. आनन्द कुमार गिरी पुत्र स्व० बजरंगी निवासी गोसाईं खेड़ा थाना सरेनी जनपद रायबरेली 5. बब्बू सिंह उर्फ शिवबक्श सिंह पुत्र गयाबक्श सिंह निवासी मान्धातापुर नेवादा थाना ऊंचाहार जनपद रायबरेली को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया तथा घायल अभियुक्त गोविन्द उपरोक्त को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों की निशानदेही पर उनके साथी 6. सुनील कुमार पोरवाल पुत्र स्व० राजेन्द्र पोरवाल निवासी सन्तेश्वर थाना कोतवाली नगर जनपद औरैया 7. सुमन पत्नी नवल निवासी सूर्यानगर घाटमपुर थाना सूर्यानगर जनपद कानपुर देहात को थाना क्षेत्र के ऊंचाहार बरगदहा सड़क पर बने मंदिर के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना जगतपुर पर मु0अ0सं0 09/2025 धारा-109(1) बीएनएस 3/25/27 आर्म्स एक्ट अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

अपराध करने का तरीका- यह गैंग घूमफिरकर मंदिरों की रैकी/गूगल मैप के माध्यम से बड़े मंदिरों को सर्च करते हैं तथा मंदिर का फोटो उसी माध्यम से देखकर अनुमान लगा लेते हैं कि मंदिर परिसर में घण्टे बंधे हुए हैं या नहीं तत्पश्चात इनका गैंग सम्बन्धित मंदिर की ओर पहुंचकर देख भाल कर लेते हैं जिसमें चारपहिया वाहन कार का प्रयोग करते हैं रात्रि में किसी को संदेह न हो इसलिए महिला को गाड़ी की अगली सीट पर बैठा कर रखते हैं तथा रात्रि में जो भी घण्टा चोरी करते हैं उसको सुबह सूर्योदय से पहले औरैया के ठठेरी बाजार में ले जाकर तोल कर बिक्री कर अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तगण से कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया गया कि दिनांक 2/3 जनवरी 2026 की रात्रि को उन्नाव में बक्सर घाट स्थित चंद्रिका मंदिर से दान पात्र व जेवरात चोरी किया था जिस संबंध में जनपद उन्नाव के थाना बारासगवर पर मु0अ0सं0-02/2026 धारा 331(4)/305(d)/298 बीएनएस अभियोग पंजीकृत है तथा थाना ऊंचाहार क्षेत्र अंतर्गत गौरीशंकर मंदिर से पीतल के घंटे चोरी किए थे जिस संबंध में थाना ऊंचाहार पर मु0अ0सं0 05/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है तथा दिनांक 6/7 जनवरी 2026 की रात्रि को थाना जगतपुर क्षेत्र अंतर्गत स्थित दुर्गा माता मंदिर से पीतल के घंटी चोरी किए थे जिस संबंध में थाना जगतपुर पर मु0अ0सं0 04/2026 धारा 303(2) बीएनएस अभियोग पंजीकृत है। आज हम लोग उक्त माल को बेचने जा रहे थे कि तभी आप लोगो ने हमें पकड़ लिया।

बरामदगी:-

06 अदद बोरे में मंदिर के घण्टे पीतल के (कुल वजन लगभग 03 क्विण्टल 13 किलो)

7000 रुपये नगद

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर,

01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर

02 अदद लोहे को काटने वाली संडासी

घटना मे प्रयुक्त एक कार वाहन सं0 UP75AU3343 (kia) सीज अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट

नाम पता अभियुक्तगण:-

1. गोविन्द सिंह उर्फ आकाश पुत्र स्व0 अर्जुन सिंह उर्फ करण सिंह निवासी बड़पुरा थाना फूफ जनपद भिण्ड मध्य प्रदेश

2. मौनू भदौरिया पुत्र इन्दल सिंह निवासी उदितपुरा, थाना कोतवाली नगर, जनपद भिण्ड, मध्य प्रदेश 3. आबिद पुत्र स्व0 जाफर निवासी उर्दू मोहल्ला, थाना कोतवाली, जनपद इटावा

4. आनन्द कुमार गिरी पुत्र स्व0 बजरंगी निवासी गोसाईं खेड़ा, थाना सैरैनी, जनपद रायबरेली

5. बब्बू सिंह उर्फ शिवबक्श सिंह पुत्र गयाबक्श सिंह निवासी माधान्तापुर नेवादा थाना ऊंचाहार जनपद रायबरेली

6. सुनील कुमार पोरवाल पुत्र स्व0 राजेन्द्र पोरवाल निवासी सन्तेश्वर, थाना कोतवाली नगर, जनपद औरैया

7. सुमन पत्नी नवल निवासी सूर्यानगर घाटमपुर, थाना सूर्यानगर, जनपद कानपुर देहात

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मोनू-

1. मु0अ0सं0-34/2019 धारा-307 भा0द0वि थाना पनकी कानपुर नगर
2. मु0अ0सं0-35/2019 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना पनकी कानपुर नगर
3. मु0अ0सं0-36/2019 धारा-411/414 भा0द0वि थाना पनकी कानपुर नगर
4. मु0अ0सं0-526/2016 धारा-380/411/457 भा0द0वि थाना अकबरपुर कानपुर देहात
5. मु0अ0सं0-529/2016 धारा-380/411/457 भा0द0वि थाना अकबरपुर कानपुर देहात
6. मु0अ0सं0-543/2016 धारा-380/411/457 भा0द0वि थाना अकबरपुर कानपुर देहात
7. मु0अ0सं0-544/2016 धारा-380/411/457 भा0द0वि थाना अकबरपुर कानपुर देहात
8. मु0अ0सं0-551/2016 धारा-380/411/457 भा0द0वि थाना अकबरपुर कानपुर देहात
9. मु0अ0सं0-566/2016 धारा-380/411/457 भा0द0वि थाना अकबरपुर कानपुर देहात
10. मु0अ0सं0-201/2016 धारा-380/457 भा0द0वि थाना डेरापुर कानपुर देहात
11. मु0अ0सं0-180/2018 धारा-174(A) भा0द0वि थाना डेरापुर कानपुर देहात
12. मु0अ0सं0-207/2016 धारा-380/457 भा0द0वि थाना रूरा कानपुर देहात
13. मु0अ0सं0-208/2016 धारा-380/457 भा0द0वि थाना रूरा कानपुर देहात
14. मु0अ0सं0-212/2016 धारा-380/457 भा0द0वि थाना रूरा कानपुर देहात
15. मु0अ0सं0-529/2016 धारा-380/411/457 भा0द0वि थाना अकबरपुर कानपुर देहात
16. मु0अ0सं0-04/2026 धारा-303(2)/317(2) बीएनएस थाना जगतपुर जनपद रायबरेली
17. मु0अ0सं0-05/2026 धारा-303(2)/317(2) बीएनएस थाना ऊंचाहार जनपद रायबरेली
18. मु0अ0सं0-09/2026 धारा-109(1) बीएनएस 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना जगतपुर जनपद रायबरेली

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आबिद-

1. मु0अ0सं0-759/2015 धारा-279/337/338 भादवि थाना कोतवाली जनपद इटावा
2. मु0अ0सं0-549/2020 धारा- 307 भादवि व 3/5(A)/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना हाटा जनपद कुशीनगर
3. मु0अ0सं0-04/2026 धारा-303(2)/317(2) बीएनएस थाना जगतपुर जनपद रायबरेली
4. मु0अ0सं0-05/2026 धारा-303(2)/317(2) बीएनएस थाना ऊंचाहार जनपद रायबरेली
5. मु0अ0सं0-09/2026 धारा-109(1) बीएनएस 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना जगतपुर जनपद रायबरेली

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शिवबक्श-

1. मु0अ0सं0-374/2020 धारा-307/452/504/506 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट थाना ऊंचाहार जनपद रायबरेली
2. मु0अ0सं0-406/2023 धारा-4/10 वन संरक्षण अधि0 थाना ऊंचाहार जनपद रायबरेली
3. मु0अ0सं0-04/2026 धारा-303(2)/317(2) बीएनएस थाना जगतपुर जनपद रायबरेली
4. मु0अ0सं0-05/2026 धारा-303(2)/317(2) बीएनएस थाना ऊंचाहार जनपद रायबरेली
5. मु0अ0सं0-09/2026 धारा-109(1) बीएनएस 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना जगतपुर जनपद रायबरेली

नोट:- अन्य अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

एसओजी/सर्विलांस टीम:-

1. निरी0 श्री अरविन्द यादव प्रभारी एसओजी टीम रायबरेली।
2. उ0नि0 श्री चन्द्र प्रताप सिंह सर्विलांस टीम रायबरेली।
3. उ0नि0 श्री शेखर बालियान सर्विलांस/एसओजी टीम रायबरेली।
4. मु0आ0 श्री राजीव शुक्ला सर्विलांस/एसओजी टीम रायबरेली।
5. मु0आ0 श्री विश्वजीत सिंह सर्विलांस/एसओजी टीम रायबरेली।
6. मु0आ0 श्री कौशल किशोर सर्विलांस/एसओजी टीम रायबरेली।
7. मु0आ0 श्री समर सिंह सर्विलांस/एसओजी टीम रायबरेली।
8. मु0आ0 श्री अमर सिंह सर्विलांस/एसओजी टीम रायबरेली।
9. आ0 श्री विकास पाण्डेय सर्विलांस/एसओजी टीम रायबरेली।
10. आ0 श्री प्रशांत तिवारी सर्विलांस/एसओजी टीम रायबरेली।
11. आ0 श्री संदीप यादव सर्विलांस/एसओजी टीम रायबरेली।
12. आ0 श्री अनिल कुमार सर्विलांस/एसओजी टीम रायबरेली।
13. आ0 श्री अभय चौधरी सर्विलांस/एसओजी टीम रायबरेली।
14. आ0 श्री ओमकार यादव सर्विलांस/एसओजी टीम रायबरेली।
15. आ0 श्री सचिन बेनीवाल सर्विलांस/एसओजी टीम रायबरेली।

थाना जगतपुर पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 श्री पंकज कुमार त्यागी
2. व0उ0नि0 श्री अजय मलिक
3. उ0नि0 श्री अमित सिंह
4. उ0नि0 श्री ऋषिकेश कुमार
5. उ0नि0 श्री नागेन्द्र नाथ मिश्रा
6. उ0नि0 श्री काशीराम
7. उ0नि0 श्री अजीत सिंह
8. मु0आ0 श्री अफरोज अहमद
9. मु0आ0 श्री दीपक कुमार
10. आ0 श्री संतोष यादव
11. आ0 श्री मदनमोहन
12. आ0 श्री हेन्द्र
13. आ0 श्री रवि कुमार
14. आ0 श्री रामकुमार
15. आ0 श्री जयदेव
16. आ0 श्री शिवप्रकाश
17. आ0 श्री दिपांशु
18. म0 आ0 अर्चना यादव



नोट:- श्रीमान पुलिस अधीक्षक रायबरेली महोदय द्वारा घटना का अनावरण करने वाली थाना जगतपुर व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम को 20,000/- रुपये इनाम से पुरस्कृत किया गया है।

मीडिया मेल रायबरेली।